प्रतिरक्षण टीके के कारण शिशुओं की मृत्यु

86. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी हाल ही में कुछ बच्चों की प्रतिरक्षण टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मृत्यु हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने बच्चों की मृत्यु हुई ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वैक्सीन से संबद्ध कारणों से 54 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना मिली है । इनमें से उपाबन्ध में दिए गए राज्यवार ब्यौरे के अनुसार, 1988 में 21 मौतें, 1989 में 12 मौतें, और 1990 में 21 मौतें हुई ।

व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, हर वर्ष लगभग 250 लाख गर्भवती महिलाओं और 220 लाख नवजात शिशुओं को रोगप्रतिरक्षण किया जाना होता है । हालांकि रोग प्रतिरक्षण एक सुरक्षित क्रिया-विधि है, तथापि, रोग-प्रतिरक्षण से बहुत कम मामलों में कुछ प्रतिकूल घटनायें होने से इनकार नहीं किया जा सकता । बहरहाल, वैक्सीनों के गुणवत्ता नियंत्रण चिकित्सीय और परा चिकित्सीय स्टाफ के प्रशिक्षण, उपकरणों की सप्लाई को सुनिश्चित करके और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी तकनीकी सहायता देकर रोगप्रतिरक्षण टीके के कारण होने वाली परिहार्य मौतों के खतरे को कम से कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं । देश भर में उपयुक्त तापमान पर वैक्सीनों के रख रखाव के लिए एक कोल्ड चैन पद्धति स्थापित की गई है। प्रत्येक रोग-प्रतिरक्षण टीके के लिए अलग सिरिंजों और सूइयों के इस्तेमाल पर बल दिया गया है और इन सिरिंजों और सूइयों के उपयुक्त विसंक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण उपलब्ध किए गए हैं ।

रोग प्रतिरक्षण टीका लगाने से हुई किसी भी मौत की 48 घंटों के भीतर एक चिकित्सीय दल को जांच करनी होती है । जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

उपाबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोग-प्रतिरक्षण टीकों के कारण हुई बच्चों की मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	1988	1989	1990
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	—	3
2.	असम	—	—	1

1	2	3	4
3 गुजरात	—	—	2
4. हरियाणा	—	—	1
5. हिमाचल प्रदेश	—	3	1
6. मध्य प्रदेश	2	—	9
7. महाराष्ट्र	4	—	1
8. मिजोरम	2	—	—
9. उड़ीसा	2	2	1
10. राजस्थान	7	1	—
11. सिक्किम	—	—	1
12. तमिलनाडु	3	2	—
13. उत्तर प्रदेश	—	4	—
14. पश्चिम बंगाल	—	—	1
योग	21	12	21

कुष्ठ उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

87. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्राप्त सहायता का उपयोग कर्मचारीवृन्द, सम्मेलनों तथा कुष्ठ कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और मूल्यांकन पर किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है जिसका पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार के ऐसे सामान्य कार्यों के लिए विदेशी सहायता को बन्द करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) संकटकालीन कार्यकलापों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता का उपयोग किया जाता है जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सहायक होगा । व्यापक कार्यकलापों में ये कार्यकलाप शामिल है—कुष्ठ नियंत्रण में अध्येतावृत्ति और प्रशिक्षण देना, संस्थाओं का सुदृढीकरण, आवश्यक सामग्री और उपकरणों, कुष्ठ रोधी औषधों की आपूर्ति, ऑपरेशनल अनुसंधान कार्यकलापों, विशेष दिशानुकूल कार्यकलापों का आयोजन परामर्शदाताओं की सहायता से अनुवीक्षण और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन ।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंट्री बजट द्वारा दी गई सहायता इस प्रकार है :—